संयुक्त आयुक्त
19.12

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–..................

संख्याः–8/आ0(राज0उ0)–2–20/2015......5068......../श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में ससमय अनुज्ञाशुल्क जमा नहीं कराये जाने के कारण कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण राजस्व क्षति, विभागीय नियमो की अनदेखी एवं पद का दुरूपयोग कर राजस्व की क्षति पहुँचाना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 का उल्लंघन करना आदि आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या–3033 दिनांक 27.06.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त उत्पाद, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णियाँ प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा अपने पत्रांक–43 दिनांक 26.08.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध अधिरोपित तीनों आरोपो को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–4196 दिनांक 05.09.2016 द्वारा श्री कुमार से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. दिनांक 07.03.2017 को श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी आरोपो को अस्वीकार करते हुए उल्लेखित किया गया है कि कटिहार जिला में देशी शराब का MGQ अधिक निर्धारित होने से दुकानों की बंदोवस्ती, निकासी/उठाव में कठिनाई होती थी, दुकानो को यदि नियमानुसार ससमय विखंडित किया जाता तो जिले की अधिकांश दुकाने विखंडित हो जाती, तो पुनः उनकी बंदोवस्ती की संभावना काफी क्षीण हो जाती। अतएव श्री कुमार द्वारा उक्त आधार पर आरोपो से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा निष्कर्षित किया गया कि यद्यपि राशि की वसूली हेतु उनके द्वारा निलाम पत्र वाद दायर किया गया है परन्तु उनके द्वारा विभागीय वित्तीय नियमों का अनुपालन न कर उसकी अनदेखी की गयी जिसके कारण कुल राशि 2,21,96,761/– (दो करोड़ इक्कीस लाख छियानवे हजार सात सौ एकसठ) रूपये की सरकारी राजस्व की वसूली लंबित है। आरोप की गम्भीरता के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (vi) के अंतर्गत पॉच वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से

05 (पांच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया जिस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

6. विभागीय पत्रांक–2896 दिनांक–06.07.2017 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक–2004 दिनांक–14.11.2017 द्वारा 05 (पॉच) वेतन वृद्विया को संचयी प्रभाव से रोकने संबंधी दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त की गयी है।

7. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोकने तथा देय तिथि से 05 (पांच) साल तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/12/17

(अभय राज)

सरकार के विशेष सचिव,

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–20 / 2015 –5068 पटना, दिनांकः–20.12.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/12/17

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–20 / 2015 –5068 पटना, दिनांकः–20.12.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचंद पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/17

सरकार के विशेष सचिव

बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–8 / आ0(राज0उ0)–2–20 / 2015 –5068 पटना, दिनांकः–20.12.17

प्रतिलिपिः–बिहार लोक सेवा आयोग / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / जिला पदाधिकारी, कटिहार / प0 चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी जिला कोषागार, कटिहार / प0 चम्पारण / राजपत्रित स्थापना शाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राकेश कुमार, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, कटिहार सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/12/17

सरकार के विशेष सचिव,

बिहार, पटना।